COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त सहायक/बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप/संयुक्त संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला उप संचालक चकबन्दी/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 3150/जी0–415/2002 दिनांक : 8 जून, 2005

विषय : उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम1953 की धारा–5(ग) के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा–5(ग) में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है :–

(ग) 1950 ई0 के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियममें किसी बात के होते हुये भी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की लिखित पूर्व प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार –

(प) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसमें मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से असम्बद्ध (not connected) प्रयोजन के लिये अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा, और किन्तु प्रतिबन्द यह है कि खातेदार अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजनों के लिये कर सकता है, जिसके लिये धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से पहले वह उपयोग में लाया जा रहा था।"

2. चकबन्दी मैनुअल के परिच्छेद 5 के प्रस्तर 95, 95(क) में स्पष्ट कहा गया है कि इन अधिकारों का प्रयोग न्यायिक विवेक से सम्बन्धित है। आदेश देने के पहले हर पहलू पर यह विचार कर लेना चाहिये कि अनुज्ञा देने से ग्राम की चकबन्दी प्रक्रिया पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। इस सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी/सहायक चकबन्दी अधिकारियों से विस्तृत आख्या प्राप्त कर ली जाये, जिसमें प्रार्थना पत्र में उल्लिखित गाटों का स्थान, प्रार्थी की आवश्यकता आदि को देखते हुये उनकी उपादेयता तथा आज्ञा देने से अन्य कृषकों या सार्वजनिक हितों पर कुप्रभाव के विषय में पूर्ण विवरण उपलब्ध हो, प्राप्त कर लेना चाहिये। आख्या में चकबन्दी समिति के सदस्यों की राय और प्रद्दान की राय ले सकें, तो बेहतर होगा। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में वाद पत्रावली बना लेनी चाहिये और उसे मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज किया जाना होगा। आख्या प्राप्त होने पर प्रार्थी, अन्य कृषक जिन पर आख्या के अनुसार आज्ञा के कारण प्रभाव पड़ने की आशंका हो तथा चकबन्दी समिति के प्रद्दान को सूचना देकर एक निश्चित तिथि पर बुलाकर सुन लिया जाये। इसके बाद प्रार्थी तथा अन्य व्यक्ति जो साक्ष्य के लिये उपस्थित हों, के कथनों के आधार पर आज्ञा देने अथवा न देने के सम्बन्ध में उचित आदेश दिया जाये। चकबन्दी अयोग्य भूमि के अन्तरण एवं धारा–9 के प्रकाशन के पूर्व तथा धारा–23 के पुष्टीकरण के पश्चात भूमि के अन्तरण की अनुमति देने में कोई व्यावहारिक अड़चन नहीं होनी चाहिये। अपर्याप्त कारणों से प्रार्थना पत्र को निरस्त करना उचित नहीं होगा। अनुमति कितनी अवधि तक वैद्द रहेगी, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति में होना चाहिये।

3. यह देखा जा रहा है कि चकबन्दी अधिनियमएवं चकबन्दी मैनुअल के प्राविधानों/मार्ग निर्देशों की मनमाने ढंग से व्याख्या करके व्यावसायिक प्रयोजन आदि हेतु भी भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जाती है, जिसे अवांछित तत्वों, भू–माफियाओं आदि को अनुचित लाभ पहुँचता है तथा गाँव सभा, कृषकों, मूल खातेदारों व पट्टेदारों आदि को हानि पहुँचती है।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

4. चकबन्दी की मूल मंशा उक्त धाराओं के प्रयोजन हेतु यह है कि यदि कोई खातेदार अपनी मूल जोत पर कृषि के अतिरिक्त कोई कार्य अपने निजी प्रयोग हेतु करना चाहें, तो उसे असुविद्दा न हो। इसका तात्पर्य यह है कि यह लाभ मूल जोत के काश्तकार या पुष्टीकृत चकदार की निजी सुविधा अर्थात स्वयं के उपयोग तक ही सीमित है। इन धाराओं का यह कदापि तात्पर्य नहीं है कि प्रश्नगत भूमि पर कोई फैक्ट्री, आवासीय/व्यावसायिक काम्प्लेक्स, पेट्रोल पम्प, कालेज, स्कूल, आदि जैसे औद्योगिक/व्यावसायिक उपयोग की अनुमति दी जाये, क्योंकि निश्चय ही ऐसे उपयोगों की मंशा प्रश्नगत भूमि को बेच कर इतर पक्ष द्वारा उसका व्यावसायिक उपयोग करने की रहती है। दौरान चकबन्दी इस प्रकार की अनुमति देना कतई उचित नहीं है, क्योंकि बहुद्दा यह पाया गया है कि इस प्रकार की भूमि अक्सर सड़क के किनारे होती है या गांव सभा की होती है और येन–केन–प्रकारेण प्रभावशाली तत्व/भू–माफिया ऐसी भूमि के उपयोग का परिवर्तन कराकर भारी मुनाफा कमाना चाहते हैं, जिसका खुलासा अनुमति के पश्चात निगरानी अथवा जांचों में होता है और प्रभावित गाटों यथा गांव सभा, पट्टेदार या छोटे निजी काश्तकारों को उसकी मूलजोत वापस कराने में बड़ी कठिनाई आती है। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि काफी बड़े रकबे/क्षेत्रफल की अनुमति दे दी जाती है, जो मूल काश्तकार के स्वयं के प्रयोजन से भिन्न व्यावसायिक/मुनाफाखोरी की होती है।

5. उक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि धारा–5(ग) के दुरूपयोग को रोकने हेतु चकबन्दी अधिनियमव चकबन्दी मैनुअल के प्राविधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित मार्ग निर्देशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाये :–

क– धारा–5(ग) में दौरान चकबन्दी मूलजोत के काश्तकार को उसके स्वयं के उपयोग हेतु अधिकतम 300 वर्गमीटर की अनुज्ञा अधिनियमव मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत परीक्षण व सन्तुष्टि के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

ख– धारा–5(ग) के अन्तर्गत आवेदन, स्वीकार करने या न करने की दशा में पारित आदेश स्वतः स्पष्ट व सकारण हो।

उक्त आदेशों का कठोरतम् अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(पी0के0 झा)
चकबन्दी आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, लखनऊ।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, राजस्व, उ0प्र0 शासन।

(पी0के0 झा)
चकबन्दी आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ